

(2)




Photo At...

G. Saraha
Roh. Saraha


Roh. Saraha

एव कोबाधिपारी
व्यवस्था (सेट)

विक्रेत पत्र ओन ने दिलावन नवां, अनालन नवां, इकबाल नवां, इनफान नवां पुत्रगण श्री अब्दुल हमीद नवां निवासीगण ग्राम मुकरनबपुन पल्हेड़ा पनगना दौनाला तहसील ननधना जिला मेनठ -----प्रथम पक्ष (विक्रेतागण)

मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० (ए कम्पनी इण्डकानपोनेटिड अण्डन इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) हेड आफिस नेनबो चैम्बर्स, पी०एल० शर्मा नोड, मेनठ द्वारा निदेशक श्री संजय गुप्ता पुत्र नव० आन०के० गुप्ता निवासी ए-2 शान्ती नगर, मेनठ शाहन ---- द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि भूमि नक्सा नम्बर 616, 0-405 हे० छ सो सोलह, शून्य दशमलव चान शून्य पांच हैक्टेयर, में अपने नमस्त 240/405 दो सो घालीन बटा चान सो पांच भाग, यानि विक्रित भूमि 0-240 हे० शून्य दशमलव दो चान शून्य हैक्टेयर, लगान 11-86 रूपये सालाना, निधत ग्राम मुकरनबपुन पल्हेड़ा पनगना दौनाला तहसील ननधना जिला मेनठ



28178

Handwritten signature and date: 14.05.2009
एन कोपाधिपती
उपवना (विषय)

कोई आदेश पानित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा नमस्त राजनव अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,92,000/- एक लाख बयानवे हजार रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अथवा कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित नमस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी नवत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, निम्न मनिष्क एवं नवनथ इच्छियों की दशा में अंकन 1,92,000/- एक लाख बयानवे हजार रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० (ए कम्पनी इनकॉर्पोरेटेड अण्डन इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) हेड आफिस नैनबो, चैम्बर्स, पी०एल० शर्मा रोड, मेनठ हाना निदेशक श्री नंजय गुप्ता पुत्र नव० श्री आन०के० गुप्ता निवासी ए-2 शास्त्री नगर मेनठ शहर को विक्रय


Handwritten signature

असमम

इकबाल रंजी

Handwritten signature

Handwritten signature





221
 2003
 इन सोबाधिकारी
 हस्तक्षेप (सेल)

के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधन है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भान आदि से उन्मुक्त तथा वैधानिक बूटियों एवं दोषों से मुक्त एवं नष्टित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तांतरित आदि करने के अग्रस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक बूटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किन्हीं बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बंधक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भानों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकान शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजिशन या निक्ज्यूजिशन आदि की किन्हीं न्यायालय अथवा कार्यालय में विधानाधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि गणन भूमि सीमानोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किन्हीं भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का


Thomas

राजेश

इफ्ताख़ रशी

John

277



28179

Jul
C. H. 2003

एन कोषाधिकार
प्रथम पक्ष विक्रेता

कन दिया और बेच डाला और नामस्त विक्रय मूल्य निम्न प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता ने प्राप्त कनके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेताका कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मातृय है तथा प्रयोग होने योग्य है। कच्चा विक्रित भूमि का स्थल पन कतई नवाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कन दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पन प्राप्त कन लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेगा। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इन हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं नजामतही प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता सहमत्यानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से

[Handwritten signature]


असप्रम

इ काल रब

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





28180

58 JAN 2009
 Full
 जे लोकार्थी
 लखन (सिप)

पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भान मुझ विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भान आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से नवण्डित अथवा मन्सूख करना पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी नियति हो, मय दर्जा व स्वर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भान प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है। विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोनिंग आदि नहीं है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग या लिंक मार्ग अथवा जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रेता

अनाम

अनाम

इकबाल २०।



अनाम

अनाम





28181


- 8 JAN 2003


अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।


विवरण प्राप्त विक्रय मूल्यः
 अंकन 90,000/- रुपये द्वारा इकनाननामा दिनांक 6-11-2001 व अंकन 1,00,000/- रुपये द्वारा 4 किता चैक प्रत्येक 25,000/- रुपये, नम्बर क्रमशः 037209, 037210, 037211 व 037212 दिनांकित 5-7-2002 कार्पोरेशन बैंक मेरठ व अंकन 2000/- रुपये नकद नजिद्री के समथ।


दिनांक 14-1-2003
 मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सनधना जिला मेरठ
 टाइटल: सुनेच्छ: कुमार शर्मा।

Jinendra Kumar Jain
 ADVOCATE
 TESHIL SARDHANA (MEERUT)

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Jinendra Kumar Jain
 ADVOCATE
 TESHIL SARDHANA (MEERUT)

[Handwritten signature]
 B. R. Mishra

क्र. 8 14103 क्र. 1002

का. स्वीकृत शा. प्र. 4 का शा. प्र. क्र. 1002

राजेश कुमार 21/1/2003
रा. प्र. क्र. 1002 का शा. प्र. क्र. 1002

रा. प्र. क्र. 1002 का शा. प्र. क्र. 1002

श्री. श्री. 2407 91/100 नं. 666
14-1-2003 को जारी है

रा. प्र. क्र. 1002 का शा. प्र. क्र. 1002